ORDER - SHEET Case no 37of/2017.

| Case no 3/ot/2017 | | |
|-----------------------------------|--|---|
| Date of Order or Proceeding | Order or proceeding with Signature of presiding | Signature of Parties or Pleaders where necessary |
| 09.12.2017 | प्रकरण आज नेशनल लोक अदालत में इस खण्डपीठ के समक्ष प्रस्तुत राज्य द्वारा अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर उप0। अभियुक्तगण महेश एवं नवल सिंहत श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता उप0। फरियादी वासुदेव एवं शीलाबाई सिंहत श्री हरिशंकर शुक्ला अधिवक्ता उप0। उभयपक्ष की ओर से प्रकरण में राजीनामा करने हेतु डॉकेट भरकर प्रस्तुत किया। यह भी व्यक्त किया कि प्रकरण में पूर्व में राजीनामा आवेदन प्रस्तुत है और फरियादी वासुदेव एवं शीलादेवी के राजीनाम के संबंध में कथन भी हो चुके हैं। उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अध्ययन किया गया। पूर्व में दिनांक 10.10.2017 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। पूर्व में दिनांक 10.10.2017 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। पूर्व में दिनांक 10.10.2017 को राजीनामा आवेदन प्रस्तुत किया गया। पूर्व है। के अभियुक्तगण उनके पुत्र है। वे राजीनाम से सहमत हैं। फरियादी पक्ष को श्री हरिशंकर शुक्ला एवं अभियुक्तगण को श्री राजीव शुक्ला अधिवक्ता ने पहचाना है। अतः राजीनामा विधिवत प्रकट होता है। राजीनामा लोक नीति के विरुद्ध न होने के कारण स्वीकार किया गया। जक्त गरीवाम के अध्याज पर प्रकरण की कार्यादी | STATE OF |
| | किया गया। उक्त राजीनामे के आधार पर प्रकरण की कार्यवाही समाप्त की जाती है। जिसका परिणाम धारा 323 भा.द.स. के तहत अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्तगण की ओर से 800/-800/- रुपए की राशि कुल राशि 1600/- रुपए विचारण न्यायालय के समक्ष जमा करायी गयी है। उक्त राशि अभियुक्तगण को वापिस की जावे। जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे। | |
| | (2) | |

आदेश की प्रति संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रैट की ओर प्रेषित की जावे। उभयपक्ष को आदेश की प्रति निशुल्क प्रदान की जावे। प्रकरण का नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे। (महेशचन्द्र श्रीवास्वत) (पुष्पराज सिंह गुर्जर) (मोहम्मद अजहर) 🔨 सदस्य पीठासीन अधिकारी लोक अदालत खण्डपीट क. 20 WILHOUT FREE TO STATE ATTHER AT PRIENTS BUTTER BUTTE

WINDOW PROBLEM STATE OF STREET STATE S